उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1075/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.224-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(278)-2023

लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो परिषद की संस्तुतियों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सारणी में,

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (ङ.) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण-यह मद सारणी के क्रम संख्या 3 के समक्ष मद (iv), (v) और (vi) के उप मदों को निर्दिष्ट करता है जो अधिसूचना संख्या-620/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी0सी0188-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(238)2022 दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा उनके निरस्त होने से पूर्व अधिसूचना में विद्यमान थे। ";

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, स्तम्भ (5) के अधीन प्रविष्टियों में, शर्त (2) में, -

(क) शब्द, अंक और अक्षर "पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या पहले" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के पहली जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक" रख दिये जायेंगे;

(ख) चौथे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह भी कि जीटीए द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए प्रयोग किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया समझा जाएगा जब तक कि जीटीए अनुलग्नक VI में रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के अधीन वापसी के लिए पूर्ववती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है ।";

(iii) क्रम संख्या 24 के समक्ष, स्तम्भ (3) में मद (i) में, स्पष्टीकरण में, खंड (i) में उप-खंड (ज) को निकाल दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक V में,
(i) पैरा 2 में, शब्द "वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है" के स्थान पर, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष का आरम्भ जिसके लिए मैं नियत दिनांक को या से पहले अनुलग्नक VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के अधीन वापसी करने का विकल्प प्रयुक्त करता हूं", रख दिये जायेंगे;
(ii) अनुलग्नक के नोट में, अंक अक्षर और शब्द "किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है" के स्थान पर, अंक अक्षर और शब्द " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए

उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा" रख दिये जायेंगे;

(ग) अनुलग्नक V के पश्चात् निम्नलिखित अनुलग्नक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"अनुलग्नक VI

प्रपत्र

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व दाखिल किये गये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन वापस करने का आशयित माल परिवहन अभिकरण द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र ।

संदर्भ संख्या –

दिनांक: -

1. मैं/हम_____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स..... का प्राधिकृत प्रतिनिधिवित्तीय वर्ष _____ के दौरान अनुलग्नक V (दिनांक _____) को भरकर ,हमारे द्वारा पूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था ।;

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वित्तीय वर्ष के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर वापस लौटना चाहता हूं...;

3. मैं समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने पर विकल्प का प्रयोग करने के दिनांक से इसे एक वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह उस वित्तीय वर्ष के अंत तक विधिमान्य रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है ।

विधिक नाम: -
जीएसटीआईएन:-
पैन नंबर
प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
जीटीए का पूरा पता:
(अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)
नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् किन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

26/7/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव